राजस्थान–सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,

2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक :–प.11(3)10/मो/आई.सी.डी.एस /2011/ 68407 जयपुर, दिनांकः 26-4-18

आदेश

राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं के अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.11(3) 10/मो/आई.सी.डी.एस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 में बिन्दु संख्या 2(iv) व 2(v को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

2(iv) आयु –आवेदन के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के प्रकरण में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक की होगी (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)।

2(v) श्रेणीवार प्राथमिकता परिशिष्ट "ब" पर दिये गये मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।

जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतः आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए। विज्ञप्ति में आरक्षण श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। यदि ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार के बावजूद अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक श्रेणी का एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अन्य श्रेणी के आवेदनों में से चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर पात्र अभ्यार्थी का चयन कर लिया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पंचायतराज विभाग द्वारा वर्तमान में चल रही विशेष ग्रामसभाओं में दिनांक 26.04.2018 तक जो चयन कर लिये गये है उन पर यह आदेश लागू नही होगा। शेष रहे मानदेय कर्मियों के चयन के लिये समस्त उप निदेशको को निर्देशित किया जाता है कि वे नये निर्देशों के अनुरूप आवेदन 15 दिवस की अवधि में प्राप्त करें। इस आश्य की विज्ञप्ति जारी करें।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–प.11(3)10/मो/आई.सी.डी.एस /2011/ 68408-69467 जयपुर, दिनांकः 26-4-18

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुख्यालय।
5. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग,जयपुर राज.।
7. समस्त जिला प्रमुख।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10. समस्त उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
11. प्रधान समस्त पंचायत समिति।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

अति. निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

D:\Desktop fd\Letter 2015.docx